डीजी परिपत्र संख्या-47/2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः जुलाई 12, 2014

प्रिय महोदय/महोदया,

आप स्वयं विदित हैं कि प्रदेश की महिलाओं एवं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के निमित्त शासन के निर्देश पर पुलिस विभाग की ओर से वूमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की गयी है।

2. आपको अवगत कराना है कि महिलाओं से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें अब वूमेन पॉवर लाइन 1090 पर दर्ज हो रही हैं व काफी संख्या में कॉल्स आ रही है, जिनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न प्रकार की होने व त्वरित कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा सहयोग अपेक्षित है। शासन के निर्देश पर प्रचलित इस व्यवस्था द्वारा जब भी स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा जाय, तो तत्काल सहयोग प्रदान किया जाय व इसमें किसी प्रकार की हीला-हवाली न की जाये।

3. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया प्रकरण का स्वयं संज्ञान लें एवं इस सम्बन्ध में अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश निर्गत कर दें ताकि वूमेन पॉवर लाइन 1090 द्वारा सहयोग मांगे जाने की स्थिति में स्थानीय पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान करने में कोई भ्रम की स्थिति न रहे।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
4.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।